

## कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)

Website - [www.nagarnigamdhmtari.com](http://www.nagarnigamdhmtari.com), Email ID - [commissioner.dhamtari@gmail.com](mailto:commissioner.dhamtari@gmail.com), Phone/Fax No. 07722-241599

—:: मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना ::—

क्रमांक / कार्य.अभि. / स्व.भा.मि. / निविदा / 2022 / 28 धमतरी, दिनांक 14/04/2022

01. निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
02. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि
03. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि
04. निविदा खोलने की तिथि

- 19/04/2022 कार्यालयीन समयावधि तक।  
- 22/04/2022 कार्यालयीन समयावधि तक।  
- 27/04/2022 कार्यालयीन समयावधि तक।  
- 28/04/2022 समय प्रातः 11:30 बजे।

नगर पालिक निगम धमतरी क्षेत्रांतर्गत स्वच्छ संवेदन 2022 अंतर्गत निम्न कार्य हेतु एकीकृत पंजीयन प्रणाली में सक्षम श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से पी.डब्ल्यू.डी. नवन/सडक इस्ट.ओ.आर. 2015 (अद्यतन संशोधित) अनुसार प्रतिशत दर पर कार्य सम्पादन हेतु निविदा प्रपत्र “ए” में वि-लिफाका पद्धति से मैनुअल निविदा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का नाम	लागत राशि	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1.	समस्त वार्डों में वार्ड इनफार्मेशन बोर्ड कार्य एवं टायलेट इनफार्मेशन बोर्ड कार्य तथा रोड साईनेज बोर्ड कार्य	05.00 लाख रु.	5000.00	750.00

उपरोक्त कार्य की निविदा की सामान्य शर्ते एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में निगम कार्यालय के स्वच्छता शाखा से प्राप्त की जा सकती है, तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर छ.ग. के वेबसाईट [www.uad.cg.gov.in](http://www.uad.cg.gov.in) तथा निगम के वेबसाईट [www.nagarnigamdhmtari.com](http://www.nagarnigamdhmtari.com) में अवलोकन एवं डाउनलोड भी की जा सकती है।  
(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

  
कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम धमतरी  
धमतरी, दिनांक 14/04/2022

पृ.क्रमांक / कार्य.अभि. / स्व.भा.मि. / निविदा / 2022 / 29

प्रतिलिपि -

01. माननीय महापौर, नगर पालिक निगम धमतरी।
02. माननीय अध्यक्ष (स्पीकर), नगर पालिक निगम धमतरी।
03. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, धमतरी।
04. प्रभारी सदस्य, आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग, नगर पालिक निगम धमतरी।
05. कार्यालय कलेक्टरेट, जिला - धमतरी।
06. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), धमतरी।
07. कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी।
08. प्रेषक, नगर पालिक निगम धमतरी को सूचना फलक में चर्चा करने हेतु।
09. ग्रथपाल, नगर पालिक निगम धमतरी को प्रकाशन पश्चात निविदा सूचना का पेपर करने प्रस्तुत करने हेतु।
10. प्रभारी, डाटा सेंटर संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़, अटल नगर नवा रायपुर। कृपया उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
11. संपादक, प्रतिनिधि, वैनिक मुख्यमंत्री, संसदीय समाचार पत्र को 28/04/2022 से.मी. साईज में उपरोक्त विज्ञापन प्रकाशित किये जाने तथा प्रकाशन उपरांत विज्ञापन सहित अखबार 02 सेट में तत्काल लोक कर्म शाखा में प्रस्तुत किये जाने हेतु।

  
कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम धमतरी



# कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

Website - [www.nagarnigamdhamtari.com](http://www.nagarnigamdhamtari.com), Email ID - [commissioner@nagarnigamdhamtari.com](mailto:commissioner@nagarnigamdhamtari.com), Phone/Fax No. 07722-241599

—:: मैन्युअल निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक २८ ..... दिनांक ४/१/२०२२ तहत स्वच्छ सर्वेक्षण  
2022 अंतर्गत धमतरी निकाय क्षेत्रांतर्गत जेब्रा कसिंग एवं रोड मार्किंग कार्य के लिए निविदा शर्त ::—

01. नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक २८ दिनांक ४/१/२०२२ तहत विज्ञापित कार्यों के लिए निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों/ठेकेदारों/फर्मों का लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ही ठेकेदारी का पंजीयन होना अनिवार्य है।
02. विज्ञापित कार्यों की निविदा में भाग लेने, निविदा प्रपत्र क्रय हेतु आवेदन पत्र निर्धारित तिथि १९/१/२०२२ को कार्यालयीन समयावधि सायं ०५.३० बजे तक निम्नांकित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति सहित निगम कार्यालय के लोक कर्म शाखा में जमा करना अनिवार्य है —
  01. एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत वैध ठेकेदारी पंजीयन प्रमाण पत्र (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)।
  02. कार्य की निविदा लागत के कम से कम 15 प्रतिशत लागत राशि के बराबर या अधिक राशि का बैंक साल्वेसी सटिफिकेट (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)
  03. पेन कार्ड, विगत 03 वित्तीय वर्षों (2018-19 से 2020-21) का आयकर रिटर्न।
  04. शासन नियमानुसार जी.एस.टी. में पंजीयन प्रमाण पत्र।
  05. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF) में पंजीयन प्रमाण पत्र।
  06. ५०.०० रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर निविदा प्रपत्र/आवेदन में आवेदक फर्म के संबंध में उल्लेखित जानकारी सत्य होने, दस्तावेज प्रमाणित होने, किसी भी विभाग की काली सूची में दर्ज या डिबार नहीं होने एवं नगर पालिक निगम धमतरी में निकटतम रिश्तेदार कार्यालय नहीं होने की जानकारी सत्य होने का नोटरियल शपथ पत्र।

उपरोक्त वांछित समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सही तथा उपयुक्त पाये जाने/निर्धारित आर्हता को पूर्ण करने वाले निविदाकर ही निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे तथा उन्हें कार्य के लिए निविदा प्रपत्र जारी किया जायेगा। उपर्युक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि/असत्यता/कपट पाये जाने/कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर निविदाकर्ता को कभी भी अयोग्य घोषित कर वैद्यानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

जिन ठेकेदारों/फर्मों को निगम के कार्यों के लिए आमत्रित निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जायेगा।

अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन या निविदा प्रपत्र जारी करने या निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है, तो ऐसी स्थिति में निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन या निविदा प्रपत्र जारी करने या निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा।

03. निर्धारित तिथि/समयावधि के उपरांत निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे, निविदा प्रपत्र विक्रय नहीं किये जायेंगे और न ही प्राप्त निविदा पर विचार किये जायेंगे।
04. निविदा प्रपत्र क्रय हेतु निर्धारित शुल्क नगद/शासन नियमानुसार बैंक ड्राफ्ट (जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम धमतरी के नाम देय हो) द्वारा निर्धारित तिथि/समयावधि में ही जमा करना अनिवार्य होगा।
05. विज्ञापित कार्यों के लिए कार्यवार निर्धारित अमानत राशि का एफ.डी.आर. (जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम धमतरी के नाम से देय हो) जमा करना अनिवार्य होगा। एफ.डी.आर. का फोटो कापी मान्य नहीं होगा/समायोजन मान्य नहीं होगा।
06. विज्ञापित कार्यों के लिए निविदा 03 लिफाफे में (निविदा प्रपत्र एवं अमानत राशि पृथक-पृथक लिफाफे में एवं इन दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बंद कर) स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही निर्धारित तिथि २५/१/२०२२ को कार्यालयीन समयावधि सायं ०५.३० बजे तक जमा करना होगा। अन्य शीति से एवं निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगा। कार्य के लिए निर्धारित अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में जमा/प्रेषित करना अनिवार्य है। नकद राशि स्वीकार नहीं किया जावेगा।
07. निविदा खोलने की कार्यवाही दौरान मूल निविदा एवं अमानत राशि जमा वाला लिफाफे में से प्रथमतः अमानत राशि जमा वाला लिफाफा खोला जायेगा, निर्धारित अमानत राशि जमा पाये जाने के उपरांत ही मूल निविदा (निविदा प्रपत्र) जमा वाला लिफाफा खोला जायेगा। निर्धारित अमानत राशि जमा नहीं पाये जाने पर मूल निविदा (निविदा प्रपत्र) जमा वाला लिफाफा नहीं खोला जायेगा तथा संबंधित निविदाकर्ता का जमा/प्राप्त निविदा निरस्त माना जायेगा।
08. कार्यालय उपरांत श्रम विभाग के प्रवचित नियमों के अनुसार कार्य के लिए श्रमिकों का नियोजन संबंधी प्रमाण पत्र श्रम विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। कार्य सम्पादन/कार्य के लिए श्रमिकों के नियोजन के संबंध में श्रम विभाग के समस्त प्रवचित नियमों का पालन करना होगा। अनुबंधित ठेकेदार द्वारा कार्य पर नियोजित श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर मजदूरी का भुगतान करना होगा।
09. विज्ञापित कार्यों की निविदा में भाग लेने वाले किसी भी ठेकेदार द्वारा निविदा की प्रस्तुती यह वियक्षित करती है कि उसने निविदा की सूचना एवं समस्त शर्तें तथा अन्य संविदा दस्तावेजों को पढ़ लिया है एवं इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय मवन संहिता 1970, भारतीय मानकों किये जाने वाले कार्य के क्षेत्र विनिर्देश, मानक एवं प्रक्रिया के संबंध में स्वयं को सतर्क कर लिया है। स्वयं की पहुंच से कार्य स्थल आदि की जांच कर ली है एवं स्वयं को स्थल के कार्य आदि की उपयुक्तता एवं उपलब्धता के संबंध में संतुष्ट कर लिया है तथा स्वयं को खदानों पर सामाजी की उपयुक्तता के संबंध में संतुष्ट कर लिया है।

10. निविदा सूचना पत्र/एन.आई.टी. की सभी निर्धारित शर्तें निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों पर विहित प्रारूप में संविदा की सभी शर्तों के अलावा बंधनकारी होंगी।
11. निविदा/निविदा दर स्थीकृत हेतु अधिकृत पदाधिकारी का किसी भी निविदा/प्राप्त निविदा दर को बिना कारण बताये स्थीकृत अथवा अस्थीकृत करने तथा आवश्यकतानुसार निविदा शर्तों में संशोधन/परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
12. निविदाकार/फर्म को आपनी निविदा दर स्थीकृत अथवा अस्थीकृत करने की जावेगी। काट-छाट अथवा ओकर राईटिंग की कार्य सम्पादन के लिए छल्तीसाग़ढ़ लोक निर्माण विभाग के प्रबलित/विज्ञापन में उल्लेखित एस.ओ.आर. अनुसार निविदा दर हुई अस्पष्ट निविदा अस्थीकृत की जावेगी।
13. कार्य सम्पादन के लिए छल्तीसाग़ढ़ लोक निर्माण विभाग के प्रबलित/विज्ञापन में उल्लेखित एस.ओ.आर. अनुसार निविदा दर प्रतिशत अधिक या अस्थीकृत करना होगा। सम्पादित कार्य का देयक कार्य से संबंधित एस.ओ.आर. के अनुसार भुगतान योग्य होगा।
14. निविदा दर एस.ओ.आर. से अत्यधिक कम प्राप्त होने पर सूचना अनुसार निर्धारित अतिरिक्त सुरक्षा निविदा करना होगा। उपरोक्त राशि को उपरोक्त समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वरूप निरस्त हो जायेगा।
15. कार्य के लिए जमा अतिरिक्त सुरक्षा निविदा राशि संतोषप्रद ढंग से कार्य सम्पादन/कार्य पूर्णता उपरांत नियमानुसार वापसी योग्य होगी।
16. सार्वांत निविदा राशीकार नहीं की जावेगी। निविदा/निविदा दर स्थीकृत हेतु अधिकृत पदाधिकारी का किसी भी निविदा/प्राप्त निविदा दर को बिना कारण बताये स्थीकृत अथवा अस्थीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
17. प्राप्त निविदाये खोलने, निविदाये लिस्टिंग किये जाने के उपरांत सफल निविदाकार की जमा निविदा अमानत राशि/एफ.डी.आर. को छोड़कर शेष निविदाकारों की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. वापस/रिलीज कर दी जायेगी। सफल निविदाकार वापसी योग्य होगी।
18. ठेकेदार को निविदा दर की स्थीकृत उपरांत कार्यालयीन सूचना अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर अनिवार्य रूप से कार्य सम्पादन हेतु नियमानुसार अधिक्रम कार्यवाही की जावेगी। कार्य की आवश्यकता, मद् में राशि की उपलब्धता एवं महापौर महोदय के अनुशंसा अनुसार अनुशरित कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यादेश जारी किया जायेगा।
19. कार्यादेश उपरांत ले-आऊट दिये जाने पर निर्देशित स्थल में कार्य तत्काल प्रारंभ कर निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण भी प्रकार की सामाग्री न तो प्रदाय की जावेगी और न ही उसे प्राप्त करने में सहायता की जावेगी।
20. सभी विधिक कार्यानुकूल होने के पश्चात भी ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण/सम्पादित नहीं किये जाने पर फी.डब्ल्यू.डी. के प्रबलित नियमानुसार या अनुबंध शर्तों के अनुसार कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत तक अर्थदण्ड/पैनलली आरोपित कर, देयक से राशि कटौती किया जायेगा।
21. ठेकेदार द्वारा कार्य अवृद्धा छोड़े जाने की विधि में नियमानुसार शेष कार्य के लिए निविदा आमंत्रित कर कार्य पूर्ण कराया जायेगा एवं शेष कार्य की मूल्यांकित/लागत राशि का 10 प्रतिशत राशि ठेकेदार के पूर्व देयक (यदि देयक भुगतान नहीं नगर यात्रिक निगम अधिनियम में निहित प्राक्कार्यों के तहत निगम के बकाया करों/शुल्कों/भू-राजस्व की वस्त्री की कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में रिक एण्ड कास्ट पर या इस रीति से जिन निविदाकारों/ठेकेदारों के कार्यों की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, उन्हें निगम के किसी भी कार्य के लिए निविदा में भाग लेने से अपात्र/विधित किया जा सकेगा।
22. ठेकेदार को कार्य का सम्पादन संबंधित साईट इंजीनियर के दिशा निर्देश में निविदा/अनुबंध शर्तों कार्य का प्राक्कलन, निर्धारित मापदण्ड/गुणवत्ता एवं रखेसिकिकेशन के अनुसार करना होगा। कार्य निर्धारित गुणवत्ता युक्त नहीं होने पर उसमें अतिरिक्त राशि देय/भुगतान योग्य नहीं होगा। उक्त मरम्मत/सुधार कार्य के लिए ठेकेदार को अलग से कोई अतिरिक्त राशि देय/भुगतान योग्य नहीं होगा। सुरक्षा राशि 05 प्रतिशत (प्रत्येक चल से) रोकी जावेगी। इसी प्रकार शासन राशि चल देयकों के माध्यम से भुगतान की जावेगी।
23. The Security Deposit of the contractor to the extent of 50% shall be refunded on his getting the completion certificate, provided that the recoveries outstanding against him are realised. Balance 25% of the amount shall be refunded after 4 months in case of building work and 6 months in case of Road work of completion of work, even if the final bill is not passed, balance 25% shall be refunded after the final bill is passed.

संसदीय संस्कारण कार्यपाल प्रसादन २५ विकास छल्तीसाग़ढ़ नया रायपुर के पत्र क्रमांक/या.प्र. ५०५/२०१३/२०१७/६४७६/प्राप्ति, दिनांक ०३.०६.२०१७ द्वारा हिंदे गए निर्देश अनुसार उपरोक्त शर्त निविदा प्रपत्र के अनुसार "ए" के कठीन २२ के कल में संस्थानित/प्राक्कार्यता माना जाते।

24. कार्य के दौरान विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार कार्य की लागत में कमी या वृद्धि निविदा प्रपत्र "ए" / पी.डब्ल्यू.डी. मैन्युअल में निहित प्रावधानों के अनुसार की जा सकेगी।
25. निविदा प्रपत्र "ए" के क्लॉस 11 अनुसार एस्कालेशन देय नहीं होगा।
26. सम्पादित कार्य का गुणवत्ता परीक्षण (Test Report) आवश्यकता अनुसार शासन के मान्यता प्राप्त संस्थान से कराया जा सकेगा।
27. शासन से स्वीकृति/अनुदान प्राप्ति/मद् में राशि की उपलब्धता के अनुसार सम्पादित कार्य का देयक भुगतान किया जायेगा।
28. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य सम्पादन उपरांत स्थल/कार्य का अलग-अलग एंगल से 03-03 कॉपी में उच्च गुणवत्ता का फोटोग्राफ (फोटोग्राफ में कार्य के पूर्ण एवं स्पष्ट नाम लेखन सहित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
29. निविदाकर्ता/ठेकेदार को कार्य स्थल पर कार्य का विस्तृत विवरण (कार्य का नाम, योजना/मद्, कार्य की लागत आदि) दर्शाते एक बोर्ड लगाना आवश्यक होगा।
30. अनुबंधकर्ता ठेकेदार को कार्य के संबंध में शासन के निर्धारित शर्तों, निविदा शर्तों, निविदा प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में निगम द्वारा नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जा सकेगी। निविदा/कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु आयुक्त, नगर पालिक निगम धमतरी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)



कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम धमतरी